IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

वर्ष : 01 – अंक : 01 – अप्रैल 2023

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

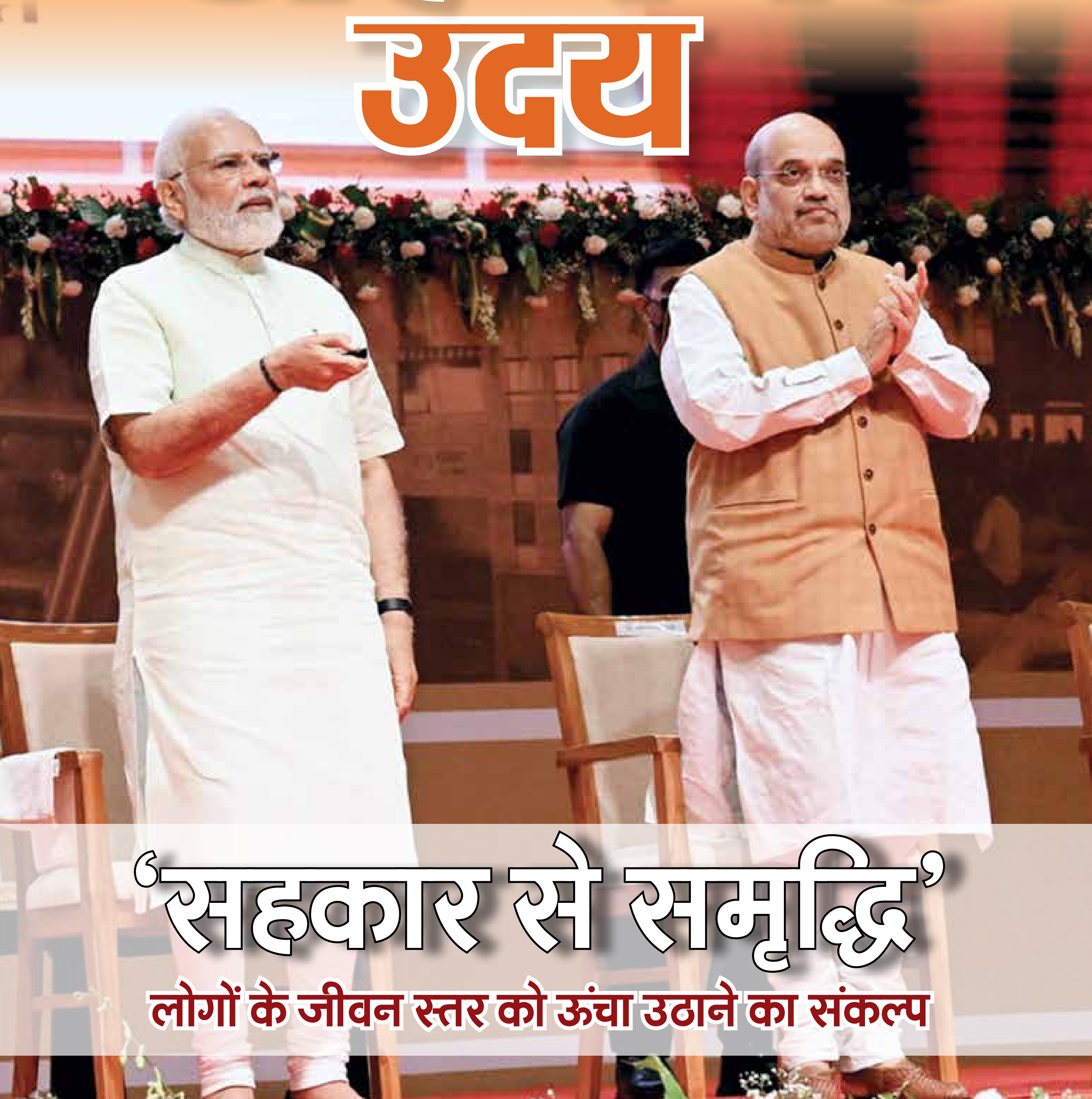

‘सहकार से समृद्धि’

लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का संकल्प

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार उदय
अप्रैल 2023, अंक 01, वर्ष 01

संपादक मंडल
प्रधान संपादक
संतोष कुमार शुक्ला
संपादक
रोहित कुमार
सह संपादक
अंक अंजलीदीप
सदस्य
माधवी एम. विप्रदास
विवेक सक्सेना
हितेंद्र प्रताप सिंह
राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए पता:
sahkaruday@iffco.in
संयुक्त महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

इफको से जुड़ने के अन्य पते:
Iffco.coop
IFFCO_PR
Iffco_coop

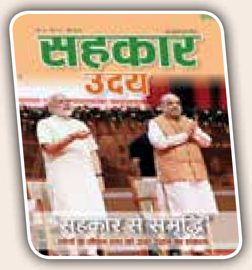

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-रॉयल प्रेस, ओखला, नई दिल्ली

'सहकार से समृद्धि'

देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में नया सहकारिता मंत्रालय पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की नित नई पहल से 'पैक्स से अपेक्स' तक को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है...

पेज 06 देखें

पेज 12 देखें

आंदोलन की दिशा तय करेगी नई सहकारिता नीति

नई सहकारी नीति देश में सहकारिता के भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। सहकारिता को बढ़ावा देने के साथ ही इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। राज्यों को भी सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे सहकारिता...

पेज 16 देखें

'संपूर्ण सरकार' का संकल्प

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन को सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सहकारिता आंदोलन की गति बढ़ा दी गई है। निचले स्तर से शीर्ष तक की सहकारी संस्थाओं की मजबूत पकड़ बनाने के लिए विस्तृत योजना पर अमल हो गया है। देश की दो तिहाई ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए...

पेज 20 देखें

बीज, आर्गेनिक उत्पाद व निर्यात के लिए बनी सोसायटियां

पेज 23 देखें

कॉलम : श्री दीनानाथ ठाकुर...

पेज 24 देखें

वैश्विक हुआ नैनो फर्टिलाइजर

पेज 27 देखें

गांव को मिलेगा पांच लाख रुपए का इनाम

पेज 28 देखें

सफलता की कहानी

पेज 30 देखें

श्री खारी खेदुत कृषक व्यवसाय संघ
उन्नत कृषि-समृद्ध किसान

प्रिय सहकारी मित्रों,

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इफको देश के सहकार बंधुओं के लिए 'सहकार उदय' का प्रथम अंक विभिन्न भारतीय भाषाओं में लेकर आ रही है। इस समाचार पत्रिका के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार एवं सम सामयिक मुद्दों का प्रसारण भारत के कोने-कोने में फैली सहकारिताओं को शिक्षित करने में मददगार साबित होगा। इससे सहकारी समितियों के कार्य में पारदर्शिता आएगी, सदस्यों में सहकारिता की भावना बढ़ेगी और अंततः देश में सहकारिता के सशक्त एवं शिक्षित आंदोलन द्वारा करोड़ों किसानों, पिछड़ों एवं महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मुझे विश्वास है कि यह पहल सहकार बंधुओं के सह-सम्बन्धों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने के लिए किसानों से सीधे संपर्क स्थापित करने में भी मददगार साबित होगी। 'सहकार उदय' के संपादक मंडल को पत्रिका की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, इफको

प्रिय सहकारी बंधुओं,

अत्यंत हर्ष का विषय है कि 'सहकार उदय' का पहला अंक प्रकाशित होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को मूर्तरूप देने हेतु माननीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में इफको द्वारा इस पत्रिका का मासिक प्रकाशन भारत की विभिन्न भाषाओं में एक साथ किया जा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से भारत के सुदूर हिस्सों तक नागरिकों को न सिर्फ विभिन्न सहकारी समितियों के कार्य एवं नवाचार के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी अपितु वह सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं, नीतियों और उसके कार्यान्वयन से भी परिचित हो सकेंगे।

'सहकारिता' आपसी समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके केंद्र में सदस्यों का सर्वांगीण विकास होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस पत्रिका के विभिन्न लेख जन-जन तक सहकारिता के मूल्यों को प्रसारित कर देश में 'सहकारिता आंदोलन' के सशक्तिकरण में प्रभावी भूमिका निभाएंगे।

इस नये अवसर और 'सहकार उदय' की यात्रा की सफलता के लिए संपादकीय टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी
प्रबंध निदेशक, इफको

सहकारिता का अमृत महोत्सव

'सहकार उदय' पत्रिका के इस प्रथम अंक के लिए संपादकीय लिखते हुए मुझे अत्यंत आनंद और हर्ष की अनुभूति हो रही है।

सहकारिता सदियों से हमारे देश की विचारधारा का अभिन्न अंग रही है और सहकारिता आंदोलन का समृद्ध इतिहास रहा है। सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के साथ देश के आर्थिक विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष तौर पर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें अपने गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए अभाव-मुक्त और सामाजिक-आर्थिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाने के लिए सहकारिता मॉडल को प्रभावी विकल्प के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। युवा शक्ति और महिला शक्ति के सहभाग से सहकारिता आंदोलन जन आंदोलन बनेगा जिससे राष्ट्र विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। सहकारिता के माध्यम से हम विश्व में अग्रणी बन सकें इसलिए सहकारी तंत्र को अधिक मजबूत बनाने के विचार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सहकारिता मंत्रालय का पहली बार गठन किया गया। सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने के लिए यह मंत्रालय कुछ नई योजनाएं लेकर आ रहा है।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इन सभी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर किसानों और सहकारिता से जुड़े सभी साथियों तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण काम यह पत्रिका करेगी। आपको यह सूचित करते हुए मुझे इस बात की भी खुशी है कि यह पत्रिका प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशित होगी। हमारा प्रयास होगा कि हम इस पत्रिका के माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी ज्वलंत विषयों और सरकार द्वारा उसके समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी आप तक पहुंचाएं। सहकारिता को लेकर किये जा रहे प्रयास जब तक जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, ग्रामीण स्तर पर समृद्धि का विस्तार नहीं होगा। सहकार से समृद्धि के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस स्वप्न को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय वास्तविकता में बदलने का काम कर रहा है। हमारी पत्रिका इस भागीरथ प्रयास में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएगी।

जय सहकार

सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

'मोदी सरकार देश के सभी PACS का कंप्यूटरीकरण कर उन्हें और सशक्त बनाने का काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने रिकॉर्ड समय में सभी बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया है। इससे PACS की पारदर्शिता बढ़ेगी और फायनेंशियल डिसिप्लिन सुधरेगा, जिससे PACS और अधिक विश्वसनीय बनेंगे।'

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री

'राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के प्रथम चरण के तहत तीन क्षेत्रों PACS, डेयरी व मत्स्य पालन में कार्यरत लगभग 2.63 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग पूरी कर ली गई है। डेटाबेस को जुलाई 2023 तक अन्य सभी क्षेत्रों की सहकारी समितियों तक विस्तारित किये जाने की उम्मीद है।'

श्री बी एल वर्मा, राज्य मंत्री, सहकारिता

'यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इफको ने शानदार प्रदर्शन किया है। अच्छा उत्पादन व शानदार बिक्री सहकार से समृद्धि का सपना पूरा कर रहा है इफको। अब तक के सर्वोच्च लाभ के शानदार प्रदर्शन के लिए इफको के निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक @drusawasthi और पूरी टीम को हार्दिक बधाई।

दिलीप संघाणी, चेयरमैन, इफको

'इफको नैनो यूरिया पूरे देश में अब किसानों का साथी बनता जा रहा है। इफको में हम पूरी कोशिश करते हैं कि देश के हर कोने तक हम किसानों को यूरिया पहुंचा सकें।'

डॉ. यू एस अवस्थी, प्रबंध निदेशक इफको

'सहकारिता मंत्रालय जल्द ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक पूर्व न्यायाधीश श्री आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा, जिससे करोड़ों निवेशकों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।'

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय

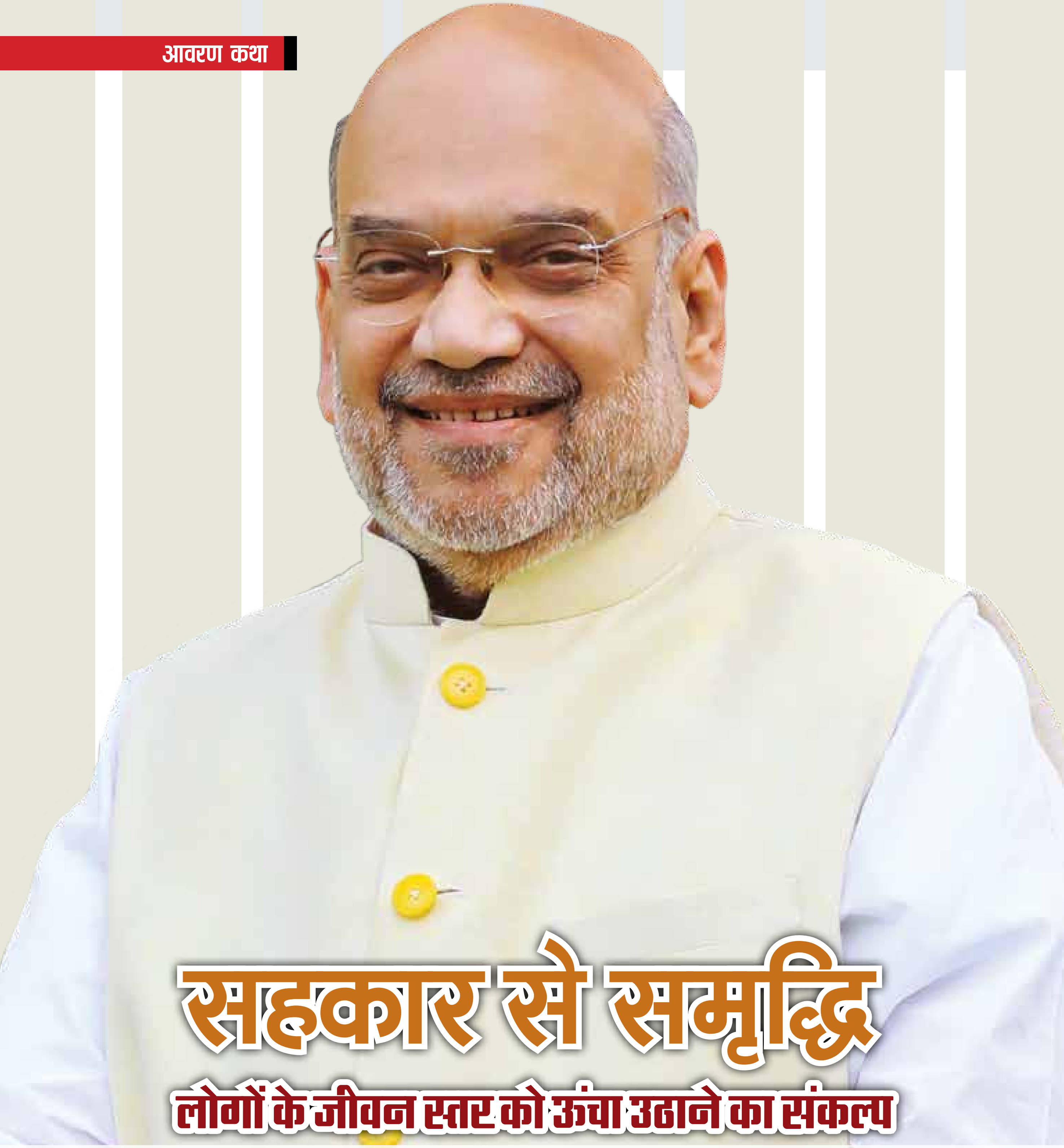

सहकार से समृद्धि

लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का संकल्प

सहकार उदय टीम

देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में नया सहकारिता मंत्रालय पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की नित नई पहल से 'पैक्स से अपेक्स' तक को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। देश के प्रत्येक गांव में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पैक्स) स्थापित करने और बंद पड़ी पैक्स को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करने का संकल्प है। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से इस दिशा में तेजी से कार्य शुरू हो गया है। नये सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मात्र दो वर्षों के भीतर दो दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं, जिसके नतीजे जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं।

‘सहकार से समृद्धि’ के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नारे को साकार करने में सहकारिता मंत्रालय जी जान से जुट गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गरीबों, वंचितों, दलितों, महिलाओं समेत समाज के हाशिये पर पड़े लोगों की एकजुटता को देश की ताकत बनाने का संकल्प लिया है। इससे प्रधानमंत्री श्री मोदी के ‘सबका साथ-सबका विकास’ की सोच को पूरा करने को भी बल मिलेगा। नये सहकारिता मंत्रालय के गठन और प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देश पर उसका दायित्व सँभालनें के साथ ही श्री शाह ने सहकारी आंदोलन की राह के रोड़े, अड़चने और चुनौतियों से निपटने की कारगर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है।

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) की स्थापना के लक्ष्य को समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए आवश्यक कानूनी सुधार शुरू कर दिए गए हैं। इन्हीं सुधारों के रास्ते पैक्स से लेकर शीर्ष मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज जैसी बड़ी सहकारी कंपनियों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सहकारी आंदोलन की गति बढ़ा दी गई है।

सहकारी आंदोलन के माध्यम से ही खेती को घाटे से उबारने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने, गरीब, वंचित और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही उद्यमी बनाने का सपना पूरा किया जा सकता है। सरकार मानती है कि सहकारिता के माध्यम से असहाय व्यक्ति भी मजबूत होकर उभर सकता है। एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना ही सहकारिता है। सहकारी आंदोलन को सरकार ने अपनी उच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। सहकारी आंदोलन के उद्देश्य को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग मंत्रालय का गठन कर उसका दायित्व कैबिनेट के सबसे मजबूत राजनीतिक स्तंभ श्री अमित शाह को सौंपा है। ‘सहकार से समृद्धि’ का जो नारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिया, उसे उसकी भावना के अनुरूप आत्मसात कर श्री शाह ने आगे बढ़ाया है।

ईज आफ डूइंग का संकल्प

नये मंत्रालय के गठन के साथ ही सहकारिता क्षेत्र में सुधार की जो धारा बहना शुरू हुई, वह लगातार तेज होती जा रही है। निचले स्तर की बंद और निष्क्रिय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) में जान फूंक दी गई है। सरकार की इसी पहल से ग्राम, पंचायत, ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य और बहुराज्यीय सहकारी समितियां धूल झाड़कर उठने को उत्सुक हैं। यह देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।

सहकारिता के माध्यम से ईज आफ डूइंग

> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जिससे सहकारिता के सभी प्रश्नों पर फोकस हो सके। भारत के कुल चीनी उत्पादन का 31 प्रतिशत आज भी सहकारी चीनी मिलों से होता है, दूध की 16 प्रतिशत खरीद सहकारी संस्थाएं करती हैं। 13 प्रतिशत गेहूं और 20 प्रतिशत धान की खरीद कोऑपरेटिव्स करते हैं। कुल उर्वरक का 25 प्रतिशत उत्पादन आज कोऑपरेटिव सोसायटियों के माध्यम से किया जाता है। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता का बहुत बड़ा थ्रस्ट ना मिले, तो वह इतनी पनप नहीं सकती। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों का बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे देश में है और इसने देश के निचले तबके के आर्थिक विकास को बल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक दशक के बाद सहकारिता सबसे ज्यादा प्रासंगिक सेक्टर होगा।
>
> **श्री अमित शाह**, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री

ऑर्गेनिक बाजार को मिलेगी समृद्धि

- देश की **8.54 लाख** पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं। उनसे ही **ऑर्गेनिक समूहों** और उनकी सप्लाई चेन का विकास होगा।
- प्रयोगशाला नेटवर्क के प्रसार के माध्यम से **ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की सुविधा** बढ़ेगी।
- ब्रांड विकास से उपभोक्ता का विश्वास बढ़ेगा और **प्रीमियम ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री में सुधार** से किसानों की आय बढ़ेगी।
- यह **AMUL** और अन्य एजेंसियों के **ब्रांड और मार्केटिंग नेटवर्क** का उपयोग करके विभिन्न व्यावसायिक मॉडल अपनाएगा।

राज्यों का दौरा करेंगे सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पिछले दो वर्षों के भीतर कई अहम कदम उठाये हैं। सहकारी संस्थाओं को गांव-गांव हर किसान, बुनकर और ग्रामीण उद्यमियों तक पहुंचाने की मंशा से श्री शाह जल्दी ही देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। राज्य सरकारों और जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं के सदस्यों से उनकी राय जानेंगे। इस देशव्यापी दौरे में वह सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने और सहकारिता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों में हिस्सा लेंगे।

बिजनेस के संकल्प को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके लिए सभी क्षेत्रों को मौका मिलेगा। बूंद-बूंद से सागर भरने के सहकारिता के मंत्र को अपना कर छोटी आय वाले भी एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का कहना है 'प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र पर चलकर सहकारिता के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।'

बदलेगा कानून

सहकारिता मंत्रालय का कामकाज संभालने के साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सबसे पहले उसके पक्षकारों और इसे आगे बढ़ा रहे हर स्तर के कोआपरेटरों से उनकी राय जानी। सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं में जान फूंकने के लिए उन्होंने आंदोलन की राह में आई कठिनाइयों को चिन्हित किया। देश की ज्यादातर सहकारी संस्थाओं की चाल कुप्रबंधन से धीमी हो चुकी है। उन्हें इन चुनौतियों से उबारने का दायित्व नये मंत्रालय ने अपने कंधों पर ले लिया है। सुधार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कानूनी सुधार सबसे प्रमुख है। केंद्रीय सहकारिता संशोधन विधेयक संसद में विचाराधीन है जो संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया था। इस बारे में समिति ने अपनी सिफारिशें संसद में पेश कर दी है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में इन सिफारिशों को शामिल करते हुए संसद के आगामी मानसून सत्र में इसके

मल्टी परपज बनेंगे पैक्स

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की पहल पर इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता किया गया है। समझौते से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को सीएससी जैसी सेवाएं प्रदान करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक संस्था बनने में मदद मिलेगी। इस पहल से पैक्स, सीएससी योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम होंगी। इनमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, आधार नामांकन/अपडेट, कानूनी सेवाएं, कृषि-इनपुट जैसे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और रेल, बस व विमान टिकट संबंधी सेवाएँ आदि शामिल हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। यह सभी पक्षकारों के लिए फायदे का सौदा होगा। पैक्स से जुड़े किसानों समेत अन्य ग्रामीण आबादी को इसके माध्यम से 300 से अधिक सीएससी सेवाएं उपलब्ध होने लगेंगी। देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी सहकारिता से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है, पैक्स के मल्टी परपज बनने से इनकी सुविधाओं को देश के कोने-कोने व छोटे से छोटे गाँव तक पहुँचाया जा सकेगा। पैक्स को लगभग 20 सेवाओं से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस निर्णय से सहकार से समृद्धि और सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न पूरा करने में मदद मिलेगी साथ ही इससे सहकारिता आंदोलन मजबूत होगा और किसान भी सशक्त होंगे।

पारित होने की पूरी संभावना है।

सहकारिता का डेटा बेस

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश पर देशभर में फैली छोटी बड़ी सहकारी संस्थाओं का राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे सरकार को योजना बनाने और नीतिगत फैसले लेने में सहूलियत होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके पहले चरण में तीन क्षेत्रों प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में काम कर रही लगभग 2.63 लाख प्राइमरी सहकारी समितियों की मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय सहकारी समितियों का डेटाबेस इसी वर्ष के जुलाई माह तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इस डेटाबेस से विभिन्न पक्षकारों को अपनी

केंद्र की पहल

- सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है।
- यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा।
- यह सहकारी को जन आधारित जन आंदोलन के जरिए जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में मदद करेगा।
- यह सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर और बहु-राज्य सरकारी समितियों एमएससीएस के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा।

योजना बनाने, नियमों और आवश्यक नीतिगत फैसला लेने में मदद मिलेगी। इसे तैयार करने में नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया (एनसीयूआई), संबंधित संस्थानों और अन्य पक्षकारों से गहन विचार-विमर्श से तैयार किया जा रहा है। इस कार्य को संपन्न करने में युवा पेशेवरों को लगाया गया है।

पैक्स का डिजिटलीकरण

सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए सरकार ने पहले कदम के तौर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को डिजिटल बनाने का फैसला किया है। छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय और गैर-वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें अनेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स ग्राम स्तर पर कार्य करती है। फिलहाल पैक्स के कामकाज मैनुअल तरीके से ही किए जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय ने इसके लिए 2516 करोड़ रुपए की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के डिजिटलीकरण' को मंजूरी दी है।

परियोजना के तहत सहकारिता की सबसे निचली इकाई पैक्स जिनकी संख्या 63000 है, उनके कंप्यूटरीकरण का काम चालू हो चुका है। इससे उसके कामकाज में पारदर्शिता आएगी। कंप्यूटीकरण के तहत उनके हार्डवेयर के साथ उसे कॉमन लेखा सॉफ्टवेयर देकर उन्हें नाबार्ड से जोड़ दिया जाएगा। पैक्स का सीधा जुड़ाव बैंकिंग सिस्टम से हो जाएगा, जिससे पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में नोडल एजेंसी के तौर पर काम करने में मदद मिलेगी। पैक्स की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के साथ सहकारिता में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता मंत्री श्री शाह ने उत्तराखंड में सहकारिता समितियों के शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ कर सभी राज्यों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। सभी राज्यों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और बजटीय आवंटन पहले ही कर दिया गया है। राज्यों ने भी इस पहल का स्वागत किया है।

◆◆◆

सहकारी संस्थाओं का होगा ऑडिट

सहकारी क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी संस्थाओं की कार्य प्रणाली, प्रशासन, उसके संचालन, बोर्ड अथवा समिति में निदेशक बोर्ड व समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, लेखा परीक्षा के साथ सभी तरह के कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया का गहन ऑडिट कराने का आदेश कर दिया गया है। इससे इन संस्थाओं के भीतर की खामियों में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस बाबत बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम-2002 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

समाजवाद और पूंजीवाद का सार्थक विकल्प है सहकारिता

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकारिता से समृद्धि के विजन के पीछे सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की उनकी सोच है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश उनके 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर चल रहा है। इसी मंत्र को सहकार की आत्मा बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी कहते हैं 'इसी स्पिरिट को आजादी के अमृतकाल की स्पिरिट से जोड़ने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र में नया अलग मंत्रालय गठित किया गया। इसके साथ कोशिश यही है कि देश के सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए।'

दरअसल प्रधानमंत्री सहकारिता को एक आधुनिक आर्थिक मॉडल के रूप में देखते हैं। उनका मानना है, 'एक तरफ समाजवादी अर्थ रचना, दूसरी तरफ पूंजीवादी अर्थ रचना, एक तरफ शासन के कब्जे वाली अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ धन्ना सेठों के कब्जे वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया इन्हीं दो व्यवस्थाओं से परिचित रही है। सरदार (पटेल) साहब जैसे महापुरुषों ने उस बीज को बोया जो आज तीसरी अर्थव्यवस्था का नमूना बन कर उभरा है, जहां न सरकार का कब्जा होगा और न धन्ना सेठों का अतिक्रमण। और वो होगा सहकारिता आंदोलन। इसमें किसानों, नागरिकों और जनता जनार्दन की सहकारिता से अर्थव्यवस्था बनेगी, पनपेगी, बढ़ेगी और हर कोई उसका हिस्सेदार होगा। यह अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मॉडल है जो समाजवाद और पूंजीवाद का सार्थक विकल्प प्रदान करता है।' केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के इसी विजन के साथ देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीब, वंचितों और महिलाओं की दशा में सुधार करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की ओर से नित एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी सोच के अनुरूप सहकारी समितियों और संस्थानों को बाजार प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है। ऐसी सहकारी संस्थाओं को मार्केट के अन्य प्लेयर्स के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

नये सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद जो भी प्रस्ताव सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने और उसकी गति बढ़ाने के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा गया, उसे बिना किसी विलंब के स्वीकृति प्रदान की गई। देश में सहकारिता आंदोलन का इतिहास है। लेकिन आजादी के 75 वर्षों में इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बावजूद कई बड़ी सहकारी समितियों की पहचान आज वैश्विक स्तर तक की हो गई है। इसे सहकारिता की मूल ताकत माना जाता है। सहकारी आंदोलन के सहारे देश में गरीबों को उनकी ताकत का अहसास कराया जा रहा है जो देश को बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में सहभागी हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के विज़न के अनुरूप ही सहकारिता सेक्टर की चुनौतियों को चिन्हित कर उनसे निपटने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के विस्तार में भारी असंतुलन पाया गया है। फिलहाल सहकारी आंदोलन का विस्तार कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा है, उसे अब पूरे देश में विस्तार दिया जा रहा है।

◆◆◆

आंदोलन की दिशा तय करेगी नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

- **सुधारों के रास्ते मजबूत होगा सहकारिता आंदोलन**
- **पैक्स को भी मिलेंगे एफपीओ वाले सारे फायदे**

सहकार उदय टीम

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति देश में सहकारिता के भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। इसीलिए सरकार सुधारों के रास्ते सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में जुटी है। नई सहकारिता नीति में पैक्स जैसी निचली इकाई को भी किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) वाले सभी लाभ प्राप्त होने के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता अधिनियम पुराना पड़ चुका है, जिसमें पर्याप्त संशोधन किए जाने हैं। राज्यों के अलग-अलग सहकारी कानूनों में एकरुपता लाने का भी प्रस्ताव है, ताकि सभी राज्यों को समान अवसर प्राप्त हो सके।

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सहकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सहकारी नेता श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 47 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय स्तर की इस उच्च स्तरीय कमेटी को अपनी रिपोर्ट निर्धारित अवधि में पेश करनी है। कमेटी में राष्ट्रीय, जिला और प्राथमिकता सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता सचिव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। समिति में सहकारी क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों को भी स्थान दिया गया है।

मोदी सरकार की 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति दो दशक से भी पुरानी पड़ चुकी है। सहकारिता के और विस्तार देने के लिए नई राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देश में अभी करीब 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं। इनके लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति सरकार की 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए तैयार की जा रही है जो सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आधार बनेगी।

देश का हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी तरह

सरकार की तरफ से उठे महत्वपूर्ण कदम

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के लगभग दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। सहकारी आंदोलन की राह की अड़चनों को दूर करने और सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार कर उसे मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम कदम उठाये गये हैं। इसमें चालू वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में घोषित नई योजनाएं, आयकर विसंगतियों में सुधार और चीनी मिलों को दी गई बड़ी राहतें शामिल हैं।

सहकारिता से जुड़ा हुआ है उसे और विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में फिलहाल 8.50 लाख से अधिक पैक्स हैं। देश के कुल एक तिहाई किसानों को फर्टिलाइजर की आपूर्ति सहकारी समितियां कर रही हैं। सरकार ने हाल ही में इन समितियों को और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से और दायित्व सौंपे हैं।

सहकारी नीति का प्रारूप तैयार कर रही समिति अपनी रिपोर्ट में देश की विभिन्न सफल सहकारी मॉडलों पर भी विचार करेगी। विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसी नीति तैयार की जाएगी, जो सबके भले के लिए हो। नई राष्ट्रीय नीति तैयार होने से सहकारिता क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने की राह आसान हो जाएगी। इस क्षेत्र में युवा और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सहकारिता यूनिवर्सिटी के साथ राज्यों में भी ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के आकार और कार्यक्षेत्र को 2025 से पहले तीन गुना से भी अधिक बढ़ाया जाएगा।

◆◆◆

- ***राष्ट्रीय सहकारी नीति :*** सहकार-से-समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक सक्षम ईको-सिस्टम बनाने के लिए नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए देश भर के विशेषज्ञों और हितधारकों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है।
- ***उपज के भंडारण की सुविधा :*** किसानों की अपनी उपज के भंडारण की सुविधा के लिए विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- ***सहकारी समितियों पर अधिभार में कमी :*** 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ***जीईएम पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में सहकारी समितियां :*** सहकारी समितियों को जीईएम पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण की अनुमति दी गई है, जिससे वे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता की सुविधा के साथ लगभग 40 लाख विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकेंगी।
- ***नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर कम करना :*** केंद्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30 प्रतिशत तक की वर्तमान दर की तुलना में 15 प्रतिशत की निम्न फ्लैट कर दर वसूलने की घोषणा की गई।
- ***आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत राहत :*** सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रत्येक लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया है। नगदी जमा और निकासी की सीमा को दो लाख रुपए कर दिया गया है।
- ***टीडीएस सीमा में वृद्धि :*** केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की सीमा टीडीएस के अधीन किए बिना एक करोड़ से तीन करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने की घोषणा की गई।
- ***न्यूनतम वैकल्पिक कर में कमी :*** सहकारी समितियों के लिए मैट को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।
- ***सहकारी चीनी मिलों को राहत :*** सहकारी चीनी मिलों को किसानों को उचित और लाभकारी पारिश्रमिक या राज्य समर्थित मूल्य तक गन्ने के अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आयकर के अधीन नहीं लाया जाएगा।
- ***सहकारी चीनी मिलों के पुराने लंबित मुद्दों का समाधान :*** केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी चीनी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति देने की घोषणा की गई, जिससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई।
- ***नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति :*** नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना एक सिंगल ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।
- ***नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति :*** सहकारिता मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।

➲ ***नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति:*** नई शीर्ष राष्ट्रीय बहु–राज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक सिंगल ब्रांड के तहत प्रमाणित एवं प्रमाणिक जैविक उत्पादों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।

➲ ***क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान :*** गैर–अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीजीटीएमएसई योजना में एमएलआई के रूप में अधिसूचित किया गया।

➲ ***राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम :*** एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार' जैसी नई योजनाएं आरंभ की गई है। वित्त वर्ष 2021–22 में 34,221 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

➲ ***सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में पीएसीएस :*** सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी–एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि पैक्स को उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने, ग्रामीण स्तर पर ई–सेवाएं प्रदान करने, रोजगार सृजन करने के लिए सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके।

➲ ***राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस :*** नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों के एक प्रामाणिक और अपडेटेड डेटा भंडार बनाने की तैयारी आरंभ हो गई है।

➲ ***पैक्स का कंप्यूटरीकरण :*** प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक ईआरपी आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर 63,000 कार्यशील पीएसीएस ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

➲ ***पैक्स के लिए मॉडल उपनियम :*** प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग प्रतिनिधि, सीएससी आदि जैसी 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार मॉडल उपनियम तैयार किए गए और उन्हें अपनाने के लिए राज्यों को भेजा गया।

➲ ***पीएसीएस और पीसीएआरडीबीएस द्वारा नकद में जमा और ऋण की सीमा में वृद्धि :*** केंद्रीय बजट 2023–24 में पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य सीमा 20,000 से 2 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई।

➲ ***एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन :*** 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने, शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और बहु राज्य सहकारी समितियों में चुनाव की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए केंद्र प्रशासित एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया।

◆◆◆

सहकारी संस्थाओं का क्षेत्रवार असंतुलन दूर करेगा मंत्रालय

पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों के मुकाबले पूरब और उत्तरी राज्यों की हालत संतोषजनक नहीं

सहकार उदय टीम

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया (एनसीयूआई) के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कुल 8.54 लाख सहकारी इकाइयां हैं। देश के 20 प्रमुख राज्यों के 739 जिलों में फैली इन सहकारी संस्थाओं में भारी विरोधाभास है। जिलेवार इनके विस्तार का राष्ट्रीय औसत 1156 है। टेबल में ऊपर के सात राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। जबकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इन राज्यों में ही सहकारिता आंदोलन की ताकत की एकजुटता को आजमाने की बहुत अधिक संभावना है। सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रेशन और उसमें हिस्सा लेकर उसे संचालित कर लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में कार्य किया जा सकता है, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के नारे को फलीभूत किया जा सकता है। टेबल में दर्शाए गए आंकड़ों से देश में सहकारिता के क्षेत्रवार असंतुलन का भी खुलासा होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री मोदी लगातार इस ओर देश का ध्यान खींचते हैं कि पूरब के पिछड़े राज्यों के गरीबों व किसानों की हालत में सुधार की सख्त जरूरत है। उनके इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारिता से प्रत्येक गांव और हर व्यक्ति को जोड़ने का अभियान मिशन मोड में शुरू कर दिया है। ◆◆◆

भारत के 20 प्रमुख राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारिता का विस्तार

क्रम	राज्य/यूटी	सहकारी संस्थाएं (लाख में)	जिले	जिलेवार संस्थाएं
1.	महाराष्ट्र	2.059	36	5719
2.	गुजरात	0.776	33	2350
3.	आंध्र प्रदेश	0.732	26	2816
4.	तेलंगाना	0.652	34	1916
5.	कर्नाटक	0.409	29	1416
6.	पश्चिम बंगाल	0.337	25	1346
7.	केरल	0.193	14	1376
8.	हरियाणा	0.246	22	1117
9.	बिहार	0.392	38	1031
10.	मध्य प्रदेश	0.474	52	912
11.	राजस्थान	0.285	33	862
12.	पंजाब	0.174	22	793
13.	तमिलनाडु	0.245	38	644
14.	उत्तर प्रदेश	0.482	76	638
15.	ओडिशा	0.173	30	578
16.	झारखंड	0.139	24	577
17.	उत्तराखंड	0.056	13	433
18.	छत्तीसगढ़	0.114	27	421
19.	असम	0.102	33	310
20.	जम्मू-कश्मीर	0.020	20	101
	संपूर्ण भारत	8.544	739	1156

(स्रोत: एनसीयूआई की वेबसाइट)

सहकारिता से पूर्ण होगा 'संपूर्ण सरकार' का संकल्प

- डेयरी, पशुपालकों और मछुआरों का बदलेगा जीवन
- आगामी पांच वर्षों में खुल जाएंगी दो लाख से अधिक डेयरी और मत्स्य समितियां

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यापक विजन को सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सहकारिता आंदोलन की गति बढ़ा दी गई है। निचले स्तर से शीर्ष तक की सहकारी संस्थाओं की मजबूत पकड़ बनाने के लिए विस्तृत योजना पर अमल हो रहा है। देश की दो तिहाई ग्रामीण आबादी की आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए खेती-बाड़ी के साथ पशु पालन और मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साढ़े सात हजार किमी. लंबी समुद्र तटीय क्षेत्रों के मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार करने और उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में सहकारिता माध्यम से शुरू की जा रही योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। इसी संकल्प के साथ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से 'संपूर्ण-सरकार' के दृष्टिकोण के तहत देश की हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) की स्थापना का फैसला लिया गया है। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र में पैक्स का विस्तार होगा। इससे डेयरी सहकारी समितियां और मत्स्य पालन समितियां गठित की जा सकेंगी। समुद्र तटीय ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के साथ बड़े जलाशयों वाले गांवों में मत्स्य सहकारी समितियां भी स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। सरकार का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में दो लाख से अधिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का है।

देश में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी से जुड़ी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) का सहयोग लिया जाएगा। इसके क्रियान्वयन की राह की सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है, जिससे आसानी से संबद्ध पैक्स इसका लाभ उठा सकेंगी। प्राथमिक सहकारी समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। निचले स्तर पर गठित इन सहकारी समितियों को सक्षम और कारगर बनाने के लिए उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। सहकारी समिति के सदस्यों को उनकी उपज की मार्केटिंग करने और उनकी आमदनी बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ही ऋण की सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने सहकारिता आंदोलन की इस अहम योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के सक्षम मार्गदर्शन से हाशिये पर जा चुके पशुपालकों और मछुआरों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है।

इस फैसले से सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल वंचित व पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके तहत विभिन्न योजनाओं को विस्तार देते हुए उसमें कई तरह के सुधार किए गए हैं।

योजना के समन्वय के लिए कार्यक्रमों की पहचान

पशु पालन और डेयरी विभाग

1 - राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

2 - डेयरी प्रसंस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष

मत्स्य पालन विभाग

1 - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई),

2 - मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ)

किसान सदस्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक उनके गांव में ही पर्याप्त ऋण की सुविधा भी मिल जाएगी। सरकार के इस फैसले से ऐसी बंद हो चुकी प्राथमिक सहकारी समितियों को, जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, चिन्हित करके बंद किया जाएगा। उसकी जगह नई सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी, जिसके संचालन से सहकारी सदस्यों को तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नए पैक्स के खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित तो होंगे ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका कई गुना प्रभाव पड़ेगा। यह योजना किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, अपने बाजारों के आकार का विस्तार करने और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में सुचारु रूप से शामिल करने में भी सक्षम बनाएगी।

अंतर मंत्रालयी समिति की निगरानी

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। इस समिति में संबंधित मंत्रालयों के सचिव, नाबार्ड के अध्यक्ष, एनडीडीबी और एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति तैयार योजना को लागू करने और विभिन्न पक्षकारों से समन्वय करने और चिन्हित योजनाओं के दिशा-निर्देशों में उपयुक्त संशोधन सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी ऐसी ही समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां पहचान की गई योजनाओं की मदद से दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रसंस्करण इकाइयां, बायोफ्लॉक पांड्स का निर्माण, फिश कियोस्क, हैचरीज का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को हासिल करने आदि जैसी अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में सक्षम होंगी। देश में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 1,99,182 है। जबकि इनके सदस्यों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। समितियां किसानों से दूध की खरीद करने, सदस्यों को दूध परीक्षण सुविधाएं, पशु चारा बिक्री और विस्तार सेवाएं आदि प्रदान करने में संलग्न हैं। प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या लगभग 25,297 है। इनके सदस्यों की संख्या लगभग 38 लाख है, जो समाज में हाशिए वाले समुदाय की जरूरतों को पूरा करती हैं। उन्हें मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करती हैं। मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के बीज और चारे की खरीद में सहायता करती हैं। ◆◆◆

किसानों का भाग्य बदल सकती हैं नई सहकारी सोसायटियां

बीज, आर्गेनिक उत्पाद व निर्यात के लिए बनी सोसायटियां

सहकार उदय टीम

हाल ही में महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र के एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा जब तक देश में बेसिक प्राइमरी सोसायटीज को मजबूत नहीं करते, सहकारिता मजबूत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के 63000 पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कम्प्यूटराइजेशन करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया।

इसी उद्देश्य के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सहकारी क्षेत्र में तीन बड़ी मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटियां स्थापित करने की अनुमति दी है। 'पैक्स से अपेक्स' तक की सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। प्राथमिक समितियां, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ, मल्टी स्टेट सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) इसमें शामिल हो सकेंगी। इसके बोर्ड में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाएगा। इसमें पहली सोसाइटी बीज उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, लेवलिंग, भंडारण, वितरण और अनुसंधान विकास के क्षेत्र में काम करेगी, जबकि दूसरी सोसाइटी जैविक उत्पाद वाली

होगी जो जैविक उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन, एकत्रीकरण, खरीद, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम करेगी। इसी तरह तीसरी कंपनी कृषि उत्पादों की निर्यात कंपनी होगी जो कृषि क्षेत्र में अहम स्थान रखेगी। सहकारी क्षेत्र की ये कंपनियां किसानों के भाग्य बदलने में सक्षम होंगी। वैश्विक बाजार में कृषि उपज की मांग को देखते हुए ग्रामीण स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियां उसी के अनुरूप खेती करेंगी, जिसका निर्यात सहकारी निर्यात कंपनी करेगी। इन कंपनियों में सहकारी क्षेत्र की प्रमुख इफको, कृभको और एनडीडीबीस, एनसीडीसी और नैफेड जैसी पांच मल्टी स्टेट कोआपरेटिव कंपनियां भी साझीदार प्रमोटर होंगी। देश में फाउंडेशन और उन्नत बीजों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर को पूरा करने के लिए इस कंपनी का गठन किया गया है। विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजाति के बीजों की आपूर्ति से देश मे खाद्यान्न की उत्पादकता में वृद्धि तय है, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा और सुनिश्चित हो सकेगी।

किसानों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

सहकारी क्षेत्र की इन मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटियों (कंपनियों) से जहां खेती बाड़ी में लगे किसानों की हालत में सुधार होगा वहीं उनकी आमदनी में अपेक्षित वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र की कमजोर कड़ी को मजबूत बनाने की दिशा में इसे नई पहल के रूप में देखा जा रहा है। मांग आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जहां बाजार की जरूरतों के हिसाब से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं किसानों को उसकी उपज का बेहतर व लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। खेती को घाटे से उबारने ही नहीं बल्कि किसानों की आय में कई गुना की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर सरकार के लिए गए फैसले के बाद सहकारी क्षेत्र में काम करने वाली इन कंपनियों के गठन का खाका भी तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले के मुताबिक मल्टी स्टेट कोआपरेटिव अधिनियम-2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की मल्टी स्टेट बीज, जैविक उत्पाद और निर्यात कोआपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना की जाएगी।

मल्टी स्टेट बीज सोसाइटी

राष्ट्रीय स्तर की मल्टी स्टेट बीज कोआपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। इसमें कृषि से जुड़े संबंधित मंत्रालयों विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) को साझा किया गया। उनकी मदद से विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन, वितरण, अनुसंधान एवं विकास, और स्थानीय प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी। एकल ब्रांड में बीज मुहैया कराने वाली यह एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगी।

प्रस्तावित समिति सभी स्तरों की सहकारी समितियों के नेटवर्क का उपयोग करके बीज प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) दर, किस्म प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज किस्म के परीक्षणों में किसानों

की भूमिका सुनिश्चित करने, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण में मदद करेगी। गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा किसानों की आय में भी वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इसके सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन से बेहतर कीमतों की प्राप्ति, उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों के उच्च उत्पादन और समिति द्वारा उत्पन्न अधिशेष से वितरित लाभांश, दोनों से लाभ होगा। राष्ट्रीय स्तर की इस बीज सहकारी समिति के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे कृषि और सहकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन होगा, आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा।

मल्टी स्टेट कोआपरेटिव जैविक सोसाइटी

जैविक क्षेत्र में काम करने वाली मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी बाजार में प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ जैविक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेगी। यह कंपनी घरेलू के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग और खपत की जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। सदस्य किसानों को सस्ती कीमत पर जांच व प्रमाणन की सुविधा देकर व्यापक स्तर पर संग्रहित करने, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से जैविक उत्पादों के उच्च मूल्य का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। जैविक सहकारी कंपनी पैक्स सदस्यों के माध्यम से जैविक किसानों का ग्रुप बनाकर खेती कराएगी। उनकी उपज का सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, जैविक उत्पादों के विपणन के साथ उन्हें वित्तीय सहायता भी करेगी। सहकारी सोसायटी, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की मदद से सभी जैविक उत्पादों के प्रचार व विकास संबंधी गतिविधियों में मदद करेगी। यह उन मान्यता प्राप्त जैविक परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों को सूचीबद्ध करेगी जो परीक्षण और प्रमाणन की लागत को कम करने के उपायों के साथ निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

मल्टी स्टेट कोआपरेटिव कृषि निर्यात सोसाइटी

प्रस्तावित सोसाइटी (कंपनी) निर्यात करने और कृषि उपज समेत सहकारी क्षेत्र के अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक (अम्ब्रेला) संगठन के रूप में कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र के निर्यात पर जोर देगी। इससे वैश्विक बाजारों में भारतीय सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को गति देने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित समिति 'संपूर्ण दृष्टिकोण' के माध्यम से सहकारी समितियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न निर्यात संबंधी योजनाओं और नीतियों का लाभ प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से 'सहकार-से-समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। सदस्य समितियां अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगी। मल्टी स्टेट कोआपरेटिव (निर्यात) कंपनी की प्रोमोटर कंपनियों में अन्य सहकारी संस्थाएं शामिल होंगी। प्रस्तावित समिति के माध्यम से होने वाले उच्च निर्यात के कारण सहकारी समितियां विभिन्न स्तरों पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करेंगी जिससे सहकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। वस्तुओं के प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाओं को बेहतर बनाने से भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। सहकारी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, 'मेक इन इंडिया' को भी प्रोत्साहन देगी, जिससे अंततः आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। ♦♦♦

श्री दीनानाथ ठाकुर

सहकारिता से ही सशक्त, सक्षम एवं आत्मनिर्भर होगा ग्रामीण भारत

मेरा यह दृढ़ मत है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं जन आधारित आर्थिक व्यवस्था को कुशलतापूर्वक व्यवहार्य रूप से चलाने के लिए सहकारिता सबसे उपयुक्त माध्यम है। सहकारिता ही भारत की लगभग 95% जनसंख्या को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखता है।

भारत में सहकारी भावना का प्रभाव प्राचीन काल से है। हमारे वेदों, पुराणों एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में सहकारिता के महत्व का स्पष्ट उल्लेख है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो पूर्ण रूप से सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्य करती थी। संगठित रूप से भी देश में सहकारी समितियों का इतिहास एक सदी से अधिक का है। परन्तु, आज इनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है जिसका मुख्य कारण जन केंद्रित होने के बजाय इसका सरकार केंद्रित होना है।

सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। सहकारिता क्षेत्र के लिए केंद्र स्तर पर एक स्वतंत्र और पृथक मंत्रालय बनाने की चिर प्रतीक्षित मांग की मोदी सरकार द्वारा स्वीकृति से देश में सहकारिता के विस्तार और विकास हेतु अनुकूल वातावरण के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह फैसला सरकार की सहकारिता क्षेत्र के विकास और उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मंशा जाहिर की थी। वह सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने अंदर 'सहकारिता भावना' को जिंदा रखने और उसे अधिक मजबूत करने के लिए हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं। गठन के पश्चात मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक आयामों पर सक्रियतापूर्वक कार्य कर रहा है। संस्थागत, वित्तीय, संगठनात्मक, ढांचागत, कानूनी, समन्वयात्मक एवं जागरूकता निर्माण जैसे सभी विषयों पर मंत्रालय समेकित, केंद्रित एवं त्वरित गति से निर्णय ले कर इसे कार्यान्वित कर रहा है।

पैक्स (PACS) को देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बनाने के लिए इनके कंप्यूटराइजेशन तथा बहुउद्देशीय बनाने का फैसला किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के गठन के लिए पैक्स को अनुमति दी गयी है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस और राष्ट्रीय सहकार नीति पर काम चल रहा है। इसके साथ-साथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सहकारी ऋण संस्थाओं को सदस्य ऋणदाता संस्थान बना दिया गया है। सहकारी समितियों को GEM पोर्टल पर खरीदी की छूट मिल गई है। कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए बजट में सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट को 18 से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया गया है। इसके अतिरिक्त भी आयकर अधिनियम में बहुत सारी राहतें दी हैं। कोऑपरेटिव चीनी मिल को इनकम टैक्स में रियायतें मिली हैं और तीन नई मल्टीस्टेट सहकारी संस्थाएं बनाई गयी है। एक छोटे किसान को बीज के उत्पादन से जोड़ेगी, दूसरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था करेगी और तीसरी, एग्रीकल्चर उत्पाद के निर्यात के लिए काम करेगी। विश्व की सबसे बड़ी सहकारिता आधारित खाद्यान्न भण्डारण योजना को बजट में घोषित किया गया है। बहुराज्यीय सहकारिता अधिनियम 2002 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इन सब निर्णयों के फलस्वरूप सहकारी समितियों को टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए उचित वातावरण का निर्माण हुआ है।

यह एक स्थापित तथ्य है कि स्वतंत्र बाजार की स्थिति बनाकर, सहकारी उद्यम देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं। परन्तु, समाज में उनका मूल्य तभी हो सकता है जब वह आर्थिक रूप से सक्षम और टिकाऊ हों। सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए उनके मौलिक स्वरूप और विशेषताओं का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसी सहकारी संस्थाएं अपना महत्त्व खो देती हैं जिन्हें सामाजिक या राजनीतिक कारणों से सरकार द्वारा आर्थिक और बाजार की ताकतों का मुकाबला करने हेतु संरक्षण दिया जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत और विकास सक्षम सहकारी संस्थाएं ही सरकार के मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे खाद्य सुरक्षा, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकती हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण आबादी के बीच गरीबी को कम करने के लिए सहकारी समितियां सर्वोत्तम विकल्प हो सकती हैं।

सहकारिता क्षेत्र को भी अपने प्रदर्शन पर आत्मचिंतन करना होगा और अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। अगर सहकारी समिति एक टिकाऊ और उन्नतिशील उद्योग नहीं बनती है तो आगे चलकर वह अपना वास्तविक प्रारूप भी खो देगी। कुछ सहकारी समितियां व्यावसायिक और आर्थिक स्वरूप को अस्वीकार कर अन्य सुव्यवस्थित सहकारी समितियों के विकास में भी अड़चनें लाती हैं। आत्मचिंतन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होकर अपनी ज़िम्मेदारियों को भी स्वयं सहकारिता क्षेत्र को ही उठाना होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि अब सहकारिता क्षेत्र के साथ कोई अन्याय अथवा भेदभाव नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकार से समृद्धि का जो सूत्र दिया है, उससे सहकारिता क्षेत्र को विकास के लिए एक नया आयाम एवं अवसर मिला है।

सहकारिता एक सामूहिक उद्यम है और इसकी मजबूती उसके सदस्यों पर निर्भर करती है। इसलिए, सदस्यों को सहयोग और अंतर्निहित तर्क के साथ इसके मूल सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। उन्हें काम करने के लिए प्रेरित और प्रतिबद्ध होना होगा। सदस्यों को अपने दायित्वों तथा उनकी सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानून, नियमों, विनियमों और उपनियमों को समझना होगा। उन्हें आवश्यक वित्तीय योगदान करने और जोखिम साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियमन और शासन संरचनाएं भी आवश्यक है। ◆◆◆

लेखक सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

नैनो फर्टिलाइजर

- नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी का घरेलू उत्पादन भी शुरू
- नैनो फर्टिलाइजर से घटी यूरिया और डीएपी की आयात निर्भरता
- एक बोरी यूरिया सिमटा 500 एमएल की बोतल में

प्रधानमंत्री की पहल से मिला इफको के नैनो फर्टिलाइजर को अंतरराष्ट्रीय फलक

सहकार उदय टीम

कृषि क्षेत्र को लाभ का उद्यम बनाने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की शुरुआती पहल के नतीजे अब दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देश और केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में इफको के नैनो फर्टिलाइजर देश से निकल कर दुनिया के बाजार तक पहुंच गया है। नैनो के उत्पादन को गति मिलने के बाद स्थिति यह हो गई है कि अगले तीन वर्षों के भीतर ही भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नैनो फर्टिलाइजर सहकारी क्षेत्र की मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी इफको की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नैनो फर्टिलाइजर परियोजना को तेज विस्तार मिला है। इसके चलते घरेलू बाजार के साथ नैनो यूरिया दुनिया के कई देशों को निर्यात भी होने लगी है। साथ ही यूरिया की घरेलू मांग को भी आसानी से पूरा किया जा रहा है।

वर्ष 2025 तक देश के आठ कारखानों में कुल 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया का उत्पादन होने लगेगा। यूरिया का यह अतिरिक्त उत्पादन 200 लाख टन परंपरागत यूरिया के बराबर होगा। एक बोरी यूरिया अथवा डीएपी अब 500 मिली की एक बोतल में आ जाएगी, जिससे लॉजिस्टक खर्च समाप्तप्राय हो जाएगा। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती और खेतिहरों को लेकर केंद्र सरकार की सोच व प्रतिबद्धता के चलते देश में पहले नैनो यूरिया और अब नैनो डीएपी का उत्पादन शुरू हो गया है। इससे फर्टिलाइजर की आयात निर्भरता से जल्दी ही राहत मिल सकती है। इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी कहते हैं, 'इफको की नैनो यूरिया किसानों के विकास में क्रांतिकारी साबित होगी और इससे किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।'

नैनो (लिक्विड) यूरिया के प्रयोग से फसलों की उत्पादकता में जहां वृद्धि हो रही है, वहीं मिट्टी के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार होगा। नैनो यूरिया के उत्पादन से वार्षिक तौर पर 40 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सब्सिडी से छुटकारा मिलने से सरकारी खजाने को राहत मिलेगी, जिससे राजकोषीय घाटा कम कम करने में मदद मिलेगी।

खेती में यूरिया के साथ डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश (एनपीके) के मिश्रण जैसे आधार फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। भारत में कुल उर्वरक की वार्षिक खपत लगभग 640 लाख टन है। जिसके लिए सरकारी खजाने पर एक से सवा लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी जाती है। हाल के दो वर्षों में वैश्विक हालात के चलते आयातित फर्टिलाइजर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद मोदी सरकार ने किसानों को पुराने मूल्य पर ही उनकी जरूरत भर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया है।

IFFCO

> गांव के स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम है सहकार। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया उसके अनुसार हम मॉडल कोआपरेटिव गांव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन करते हुए मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत एक बोतल में समाहित है। नैनो यूरिया की करीब आधा लीटर की बोतल, किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी।

-प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी का ट्वीट

डी.ए.पी. नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग की तथ्यपरक बातें

दुनिया की अग्रणी सहकारी संस्था इफको द्वारा विकसित नैनो यूरिया (तरल) फर्टिलाइजर के सफल उत्पादन एवं राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बिक्री के उपरांत अब नैनो डीएपी (तरल) को 'उर्वरक नियंत्रण आदेश' में शामिल कर उसके व्यावसायिक उत्पादन और बिक्री की अनुमति दे दी गई है। नैनो डीएपी (तरल) को भी अपने विशेष गुणों के कारण विश्व स्तर पर परंपरागत फास्फेटिक फर्टिलाइजरों के बेहतरीन विकल्प के रूप में किसानों ने अपनाया है। विशेष नैनो फर्टिलाइजर के बारे में कुछ तथ्यपरक बातें जानना जरूरी है। इफको नैनो डीएपी (तरल) एक अनोखा फर्टिलाइजर उत्पाद है, जो फसल में आठ प्रतिशत नाइट्रोजन और 16 प्रतिशत फास्फोरस की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU) के सहयोग से विभिन्न फसलों मे अलग-अलग जगहों पर कई फसल सीजन तक सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद इस क्रांतिकारी नैनो डीएपी को मार्च 2023 को सरकार की ओर से हरी झंडी दे दी गई। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव-विषाक्तता, जैव-सुरक्षा, जैव-प्रभावकारिता हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नैनो डीएपी को विकसित किया है। अगस्त 2023 तक इफको की कलोल इकाई में प्रतिदिन 2.0 लाख बोतलों (500 एमएल) की दर से नैनो डीएपी का व्यावसायिक उत्पादन होने का अनुमान है।

> नैनो यूरिया से किसानों को फायदा होगा और यह पहले से ही पांच देशों को निर्यात किया जा रहा है। नैनो यूरिया फसल की उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अत्यधिक इस्तेमाल को दूर करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि संरक्षण को प्रमुखता देते हुए प्राकृतिक व जैविक खेती के साथ नैनो फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ाने को खास तरजीह दी है।

श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री

वैज्ञानिकों ने गिनाए इसके कई और फायदे

- फसल के लिए उपयोगी-बीज प्राइमिंग (अंकुरण में वृद्धि), फसल बढ़वार एवं अधिक उपज में सहायक।
- 90% से अधिक पोषक उपयोग क्षमता अनुकूल परिस्थितियों में।
- परम्परागत फॉस्फेटिक उर्वरकों जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के प्रयोग में कमी।
- किसान की फसल लागत में कमी तथा मिट्टी, वायु एवं जल प्रदूषण में कमी।
- जैव सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी।
- संचय, भंडारण और परिवहन में सुविधा।

भंडारण अवधि

- उत्पादन तिथि से 24 माह के अंदर प्रयोग करें।

प्रयोग दर, समय एवं विधि

- *बीज उपचारः* प्रति किलो बीज के लिए पांच मिली लीटर नैनो डीएपी का प्रयोग करें। नैनो डीएपी (तरल) का घोल बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पानी का प्रयोग करें ताकि एक समान रूप से बीज पर घोल की परत बन सके। 30 मिनट तक बीजों को उपचारित कर व छांव में सुखाने के उपरांत बुवाई करें।
- *जड़ों का उपचारः* घोल बनाने के लिए प्रति लीटर पानी में पांच मिली नैनो डीएपी का प्रयोग करें। घोल के लिए आवश्यकतानुसार पानी का प्रयोग करें। जड़ व कंद को 30 मिनट तक घोल में डुबोने के बाद छांव मे सुखाने के उपरांत ट्रांसप्लांट करें।
- *खड़ी फसल पर छिड़कावः* नैनो डीएपी का प्रति लीटर पानी में दो से चार मिली की दर से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए अधिक फॉस्फोरस जरूरत वाली फसलों में दूसरे छिड़काव का प्रयोग फूल निकलने से पहले की अवस्था पर करें।

किसानों के लिए नायाब तोहफा है नैनो फर्टिलाइजर: मांडविया

विनीत शुक्ला

किसानों के लिए नैनो फर्टिलाइजर किसी नायाब तोहफे से कम नहीं है। केंद्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को समृद्ध बनाने की दिशा में प्रगतिशील कार्य किया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो समय के अनुरुप बदलाव नहीं करते वह पिछड़ जाते हैं। किसानों की प्रगति और उनकी आमदनी में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश में बरेली और प्रयागराज में दो अलग-अलग इफको यूरिया (तरल) प्लांट को डॉक्टर मांडविया ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बरेली के आंवला स्थित प्लांट में किसानों को संबोधित भी किया। डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि फसलों के लिए बोरियों में भरा फर्टिलाइजर को खेतों तक लाने के लिए किसान को अपना समय, पैसा, संसाधन और कड़ी मेहनत के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन अब इफको नैनो यूरिया (तरल) की 500 मिली की एक बोतल ने किसानों की राह आसान कर दी है, जो सिर्फ 225 रुपए में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है । नैनो यूरिया (तरल) की एक बोतल से किसान के कंधे और उसकी जेब दोनों का बोझ कम हो गया है। किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए इसका पहला प्लांट गुजरात के कलोल में चालू भी करा दिया है। डॉ. मांडविया ने कहा कि देश के 12000 समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को तरल यूरिया फर्टिलाइजर उपलब्ध कराई जाएगी। किसान को अब फर्टिलाइजर की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। ◆◆◆

जन संपर्क अधिकारी, इफको आंवला

परियोजना संक्षेप

भारत सरकार का लक्ष्य देश में 'रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना' है। मौजूदा उर्वरक प्रबंधन प्रथाओं की तुलना में कुशल पोषक प्रबंधन प्रदान करने की क्षमता के साथ नैनो टेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इफको ने कलोल इकाई में एक विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं विकास इकाई 'इफको नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी)' की स्थापना की और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के दौरान, यह पाया गया कि नैनो तकनीक के उपयोग से रासायनिक उर्वरक की खपत को कम किया जा सकता है। भारत भर में इफको नैनो यूरिया के क्षेत्र परीक्षण प्रदर्शन से प्रारंभिक प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया है कि इसमें पारंपरिक यूरिया के उपयोग को 50 प्रतिशत या उससे अधिक तक कम करने की क्षमता है। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल की उपज में आठ प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। इस प्रकार, नैनो-यूरिया के साथ नाइट्रोजन की खपत में कमी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसमें 500 मिली नैनो-यूरिया बोतल के उपयोग से यूरिया के एक बैग (45 किलोग्राम) के बराबर की क्षमता है। आंवला इकाई 9.5 एकड़ भूखंड में फैले संयंत्र में प्रति दिन लगभग दो लाख बोतल इफको नैनो यूरिया (तरल) फर्टिलाइजर (500 मिलीलीटर प्रत्येक) का उत्पादन करेगी। नैनो फर्टिलाइजर एक आशाजनक विकल्प के रूप में उभरा है जो उच्च फसल उत्पादन सुनिश्चित करता है और हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए सुरक्षित है।

पूर्ण नैनो फर्टिलाइजर गांव को मिलेगा पांच लाख रुपए का इनाम

सहकार उदय टीम

नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का शत-प्रतिशत उपयोग करने वाले गांवों को इनाम के तौर पर पांच लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा। ऐसा करके सरकार नैनो उर्वरकों को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाना चाहती है ताकि विदेश से उर्वरकों का आयात कम किया जा सके। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इफको की ओर से गुजरात के भावनगर स्थित पलिताना में आयोजित एक सहकारिता सम्मेलन में कहा कि किसान अगर नैनो उर्वरकों का उपयोग बढ़ाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सहकारिता के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए इफको ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था।

केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया ने किसानों के साथ संवाद में कहा कि भारत में उत्पादित नैनो उर्वरकों की मांग आज देश और दुनिया में बढ़ी है। भारत में किसान नैनो यूरिया को सस्ते दामों पर खरीद कर कृषि लागत में न सिर्फ कमी ला रहे हैं बल्कि मिट्टी व पर्यावरण की रक्षा कर धरती के प्रति अपना कर्तव्य भी अदा कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत के जिस गांव में परंपरागत यूरिया की एक भी बोरी नहीं बिकेगी और उसकी जगह सभी किसान नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे, उस गांव को पांच लाख रुपए का विशेष अनुदान दिया जाएगा। मंत्री महोदय ने किसानों से कृषि में आने वाले नए बदलाव को

नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ने का सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को होगा। वर्तमान में देश को यूरिया का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस पर कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होती है...

स्वीकार करने की अपील की। इफको के साथ साथ सरकार भी नैनो यूरिया को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने के निरंतर प्रयास कर रही है। नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ने का सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को होगा। वर्तमान में देश को यूरिया का भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। इस पर कीमती विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश में यूरिया की कुल खपत 350 लाख टन की है। इसमें से 90 लाख टन का आयात करना पड़ता है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार साल 2025 तक आठ नैनो यूरिया प्लांट स्थापित करने और नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल की वार्षिक उत्पादन क्षमता तैयार हो जाएगी। यह क्षमता दो करोड़ टन परंपरागत यूरिया के बराबर होगी। सरकार की इस पहल से खजाने को 40 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत होगी। सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2023-24 के बाद नैनो यूरिया के उत्पादन होने से यूरिया के आयात की आवश्यकता नहीं होगी। इस मामले में भारत यूरिया के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ♦♦♦

सहकार के सहारे छू रहे नई ऊंचाई

शंकर लाल गठाला

पलसाना गांव के लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ने का जो अभियान शुरू किया वह नई ऊंचाइयां छू रहा है। यह सहकारी समितियों के लिए आदर्श बन गया है। राजस्थान की पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति ने पिछले दो दशकों में गांव की प्रगति की नई इबारत लिखना शुरू कर दिया है। केवल 40 किसानों के एक समूह ने गांव में खेती व घरेलू जरूरतों के मद्देनजर सहकारी समिति की औपचारिक स्थापना साठ के दशक में ही कर दी थी। समिति ने सिंचाई की सुविधा के साथ खाद, बीज और कीटनाशकों का कारोबार शुरू कर दिया जिससे आसपास के किसानों को भी मदद मिलती है। अब तो इस ग्रामीण सहकारी समिति ने सुपर मार्केट, आढ़त, सरस पार्लर, ई-मित्र, पुस्तकालय के साथ जिम भी स्थापित कर लिया है। पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) जैसी सुविधा पहले से ही दे रही है।

यह सहकारी समिति जिला मुख्यालय सीकर से 28 किलोमीटर पहले एवं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 88 किलोमीटर दूरी पर है। पलसाना ग्राम सहकारी समिति ने कृषि के अतिरिक्त किसान और आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी दैनिक चीजों में भी रुचि दिखाई। किसान सदस्यों के अथक और निरंतर प्रयासों से अब यहां एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समिति

आज एक मल्टी सेंटर के रूप में काम कर रही है, और कार्य क्षेत्र में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

आज चार हजार से अधिक सक्रिय सदस्यों वाली पलसाना सहकारी समिति जिला ही नहीं राष्ट्र व राज्य स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी है। वर्ष 2010 में पलसाना सहकारी समिति ने सुपर मार्केट की शुरुआत की, किसी भी सहकारी समिति द्वारा सुपर मार्केट की स्थापना करना अपने आप में यह एक नये तरह का प्रयास था। इसके बाद साल दर साल समिति में नित नये व्यवसाय जुड़ते गए, क्षेत्र में निवास करने वाले सदस्यों को अपनी ही जगह रहकर सभी जरूरत की चीजें आसानी से उपलब्ध होने लगी। इसी क्रम में जिम, लाइब्रेरी, कस्टम हायरिंग, सहकार ग्रामीण हाट, सौर उर्जा और लॉकर जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी सहकारिता से जोड़ दिया गया। इस दौरान विभिन्न व्यवसायों से समिति की आय में भी बढ़ोतरी हुई। जिसकी जानकारी तालिका में दी गई है।

रियायती दरों पर कृषि संबंधी उपकरणों को खरीदने के लिए किसानों को पहले शहर की तरफ भागना पड़ता था, लेकिन इस समस्या का समाधान वर्ष 2020 में कस्टम हायरिंग की स्थापना के जरिए किया गया, इस सेंटर के माध्यम से सदस्यों को सस्ते दर पर कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर, स्प्रे मशीन, रोटावेटर आदि को उपलब्ध कराया गया। समिति ने अपने कार्यो के विस्तार में सामाजिक दायित्वों को भी शामिल किया, जिसका युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। समिति द्वारा अपने ही परिसर में एक जिम स्थापित किया गया, जिससे ग्रामीण युवा प्रतिदिन व्यायाम कर सकें, बालिका स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा बालिकाओं के लिए जिम की मासिक फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में भी पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अहम सकारात्मक कदम उठाए हैं। समिति द्वारा इस समय 24 स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं जिसमें कुल 240 महिलाओं को डेयरी, सिलाई तथा मसाला यूनिट के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। इससे महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ा और घर का खर्च चलाने में उनकी सहभागिता भी बढ़ी है।

आर्थिक कार्यो के लिए किसान को नकदी या बैंकिंग के लिए परेशान न होना पड़े, जिसके लिए समिति द्वारा परिसर में ही तीन बैंक और एटीएम स्थापित किए गए। इससे दोगुना लाभ हुआ। समिति को बैंक के किराए के रूप में आमदनी तो मिली ही साथ ही किसानों को लेन देन संबंधी काम करने के लिए नकदी की सुविधा परिसर में ही मिल गई।

सहकारी क्षेत्र में अब जबकि मल्टी सर्विस सेंटर को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ऐसे समय में पलसाना सहकारी समिति नित नये प्रयोगों से नये आयाम गढ़ रही है। समिति ने सुरक्षित अनाज भंडारण के लिए 750 टन का सामुदायिक गोदाम तैयार कराया। इसके अलावा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए समिति किसानों के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है। कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा पलसाना सहकारी समिति को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन लिमिटेड ने पलसाना सहकारी ग्राम समिति को बीज विपणन में पहला स्थान तथा राष्ट्रीय सहकार मसाला द्वारा सराहनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। एनसीडीसी द्वारा भी पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति को कोआपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान की पलसाना सहकारी समिति ने अपने प्रयासों से यह साबित कर दिया है कि देश के विकास में सहकारिता महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हैं। सहकारी समितियां पारदर्शिता और सहकारिता की भावना को बढ़ाकर देश के किसान, वंचित, गरीब व महिलाओं के कल्याण और विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। ◆◆◆

सहायक क्षेत्र प्रबंधक, सीकर, (राजस्थान)

क्र.स.	व्यवसाय	स्थापना वर्ष	वर्ष 2021-22, विविध व्यवसाय से कुल लाभ (रु लाख)
1	सुपर मार्केट	2010	09.00
2	जिम	2017	1.20
3	किराया	2018	16.56
4	लाइब्रेरी	2019	1.00
5	कस्टॅम हायरिंग	2020	1.35
6	सहकार ग्रामीण हाट	2021	1.50
7	सौर ऊर्जा (15 KVA)	2022	0.96
8	लोकर (कीमती वस्तु हेतु)	2022	0.75
	कुल लाभ		32.32

श्री खारी खेदुत कृषक व्यवसाय संघ

उन्नत कृषि-समृद्ध किसान

- खेती ही नहीं कारोबार भी, लघु व मझोले किसानों के बहुरे दिन
- श्री खारी खेदुत कृषक व्यवसाय संघ की उन्नत खेती से समृद्ध हुए किसान

सहकार उदय टीम

छोटे व मझोले किसानों को खेती में लाभ कमाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। इनमें सहकारिता संगठनों के साथ एफपीओ का प्रदर्शन शानदार रहा है। इसी क्रम में गुजरात के श्री खारी खेदुत के 'कृषक व्यवसाय संघ' ने अपने 50 कृषक उत्पादक संगठनों के मार्फत हजारों किसानों की जिंदगी को खुशहाल कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की यह योजना नाबार्ड और एनसीडीसी के सहयोग से इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोआपरेटिव (आईएफएफडीसी) हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दे रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इन कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को कृषि उत्पाद व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। बाजारों को जोड़ने और बेहतर मूल्य की आवश्यकता को देखते हुए 2021 में श्री खारी खेदुत एफपीओ का गठन किया गया था। आज इस एफपीओ से 12-15 पंचायतों के 501 शेयरधारक किसान जुड़ चुके हैं। एफपीओ का उद्देश्य सामूहिक तकनीकों, ग्रामीण किसानों और गुजकोमसोल सहित लाभार्थी समुदाय की भागीदारी का उपयोग करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। एफपीओ अपने सदस्य किसानों को सीधी खरीद का लाभ पहुंचा रहा है। एफपीओ ने केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला, इफको एवं गुजकोमसोल के माननीय अध्यक्ष दिलीप संघाणी और विभिन्न गांवों के किसानों की उपस्थिति में चना खरीद की शुरुआत की। एफपीओ ने गुजकोमसोल की मदद से 1500 किसानों से चना खरीदा। गुजकोमसोल ने चने की खरीद के लिए एफपीओ को एक प्रतिशत का मुनाफा दिया। एफपीओ ने कुल 20.20 करोड़ रुपए का चना खरीदा और इस प्रकार उसे मुनाफे के रूप में 20 लाख रुपए प्राप्त हुए।

श्री खारी खेदुत एफपीओ ने किसानों के लिए इनपुट केंद्रों की स्थापना की है। कीटनाशक, फर्टिलाइजर तथा उच्च उपज वाले बीज के साथ-साथ मांग के आधार पर किसानों को पावर टिलर, ट्रैक्टर, मिनी स्प्रेयर, रोटो बीज ड्रिल जैसे सहायक उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

सफलता का मंत्र

क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गनाइजेशन (सीबीबीओ) के रूप में आईएफएफडीसी के सहयोग से एफपीओ ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के समूह का प्रभावी प्रदर्शन किया है। इससे उत्पादन और मार्केटिंग के क्षेत्र में बेहतरीन लाभ अर्जित किया है।

- एफपीओ ने स्थापना के छह महीने के भीतर कुल 20.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया जिससे 501 सदस्य किसान लाभान्वित हुए।
- खरीददार को बेहतर मूल्य प्राप्ति हेतु मार्केट इंटेलिजेंस।
- निश्चित बाजार मिलने से किसानों को संकट के समय बिचौलियों और स्थानीय बाजार के हाथों बिक्री से बचने में मदद मिल रही है।

योजना के लाभ

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 3.40 लाख रुपए की प्रबंधन लागत और 5.51 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान प्राप्त हुआ। एफपीओ ने वित्त वर्ष 2021-22, के दौरान 9.49 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण कृषक उत्पादक संगठन का गुजकोमसोल (GUJCOMASOL) के साथ सहयोग समझौता है।

सबक

बड़े खरीदारों को सीधे बिक्री से प्रक्रिया में बिचौलियों की अनावश्यक भागीदारी को कम करने में मदद मिली है। किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। एफपीओ मॉडल छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार कर रहा है और निर्णय लेने में उनकी बढ़ती भागीदारी के साथ उन्हें सशक्त बना रहा है।

भविष्य की योजना

भविष्य में मूल्यवर्धित उत्पादों में विविधता लाना और आम प्रसंस्करण इकाइयों एवं मूंगफली संयंत्र की स्थापना करना श्री खारी खेदुत कृषक व्यवसाय संघ का प्रमुख उद्देश्य है। ◆◆◆

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कर्नाटक के पुत्तुर में सेंट्रल सुपारी और कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोआपेरटिव लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए।

झारखण्ड के देवघर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इफको नैनो यूरिया प्लांट के पांचवें संयंत्र का भूमि-पूजन और शिलान्यास करते हुए।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में एमएसएमई और सहकारिता का सशक्तिकरण पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह।

मदुरै जिले में ग्राम स्तरीय सहकारिता जागरुकता अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को सहकारिता की जानकारी देते हुए विशेषज्ञ।

इफको के उच्च गुणवत्ता युक्त, किफायती एवं विश्वसनीय कृषि आदान

IFFCO

पूर्णतः सहकारी स्वामित्व

Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

इफको सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली–110017

Postal Registration No.: DL(S)-18/3560/2023-25

Published on 26-04-2023 Applied for RNI Registration /Exempted for Six months vide DG Posts Letter No. 22-1/2023-PO, dt. 21-04-2023